तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3921/2005/जयपुर हेमराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री भीयाराम चौधरी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री अभिषेक कौशिक, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 13.03.2019

अपीलार्थी ने यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को ग्राम सुरेठी स्थित आराजी खसरा नम्बर–6मिन रकबा 02बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि दिनांक 18–06–1999 को आवंटित की गयी। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार, जमवारामगढ ने अतिरिक्त कलक्टर, तृतीय, जयपुर के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–07–2002 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–03–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3921/2005/जयपुर हेमराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित आराजी का आवंटन अपीलार्थी को अनुसूचित जाति का सदस्य एवं भूमिहीन होने के नाते बाद जांच नियमानुसार किया गया था तथा आवंटन होते ही विवादित आराजी की किस्म स्वतः परिवर्तित हो गयी थी, इसके लिए अलग से आदेश जारी कराने की आवश्यकता नहीं होती है। उनका कथन है कि विवादित भूमि गरीब किसानों को जो गरीबी रेखा के नीचे चयनित गरीब परिवार के है, उनको अपनी जीविका चलाने के लिए आवंटित की गयी थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23-5-1989 के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में जारी आवंटन आदेश को बहाल रखा जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाला होने से विवादित आराजी आवंटन योग्य नहीं थी। अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3921/2005/जयपुर हेमराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालयों द्वारा इन्ही तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को ग्राम सुरेठी स्थित आराजी खसरा नम्बर–6मिन रकबा 02बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि दिनांक 18–06–1999 को आवंटित की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी की किस्म आवंटन के समय गैर मुमकिन नाला राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार आवंटी को प्रोद्भूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज होने से सार्वजनिक हित की भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3921/2005/जयपुर हेमराज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकार देना कानून में वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य